

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/ /2024, लखनऊ :: दिनांक 19 मार्च, 2024

:: संशोधित आदेश ::-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर ने पत्र संख्या- 52/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा दिनांक 08.04.2024 से 10.04.2024 तक गठित युगल पीठ में व्यक्तिगत कारणों से सहभागिता करने असमर्थता व्यक्त की है तथा लोक सभा चुनाव घोषित हो जाने के कारण मेरठ, गाजियाबाद व लखनऊ में निर्धारित युगल पीठ कार्यक्रम निम्नप्रकार संशोधित किया जाता है -

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	पीठ-1, लखनऊ मुख्यालय लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दि0 08.04.2024 से 12.04.2024 दि0 22.04.2024 से 26.04.2024	सदस्य पीठ-1, लखनऊ सदस्य पीठ-3, लखनऊ अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण सदस्य, पीठ -2 लखनऊ	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ - 1 व 2 गाजियाबाद	दि0 08.04.2024 से 12.04.2024	अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण सदस्य, पीठ -2 गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-मेरठ	पीठ - 1 व 2 मेरठ	दि0 08.04.2024 से 10.04.2024	सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य, पीठ मुज्जफरनगर	न्यायिक विभागीय
4	नोएडा	पीठ 1 व 2 नोएडा	दि0 22.04.2024 से 24.04.2024	सदस्य पीठ-1, मेरठ सदस्य, पीठ -2, नोएडा	न्यायिक विभागीय
5	वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	दि0 08.04.2024 से 12.04.2024	सदस्य पीठ गोरखपुर सदस्य पीठ -4, वाराणसी	न्यायिक विभागीय

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 251/2024 दिनांक 04.03-2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए मेरठ, गाजियाबाद एवं लखनऊ पीठ में उपरोक्तानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह-19.03.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांक संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/245/2024 दिनांक ::यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ, मेरठ, कानपुर पीठ-3, मुज्जफरनगर, गोरखपुर, नोएडा-पीठ-2, वाराणसी पीठ-4 एवं गाजियाबाद।
 - 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 3- संबन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।